□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 3422
13 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस के मामले

3422. □□□ □□□□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) गत तीन वर्षां और चालू वष के दौरान देश म स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस के मामलों को संख्या कितनी है और कितने भारतीय विदेश म संक्रमित हुए और कितनों को भारत लाया गया;

(ख) चालू वष के दौरान अब तक स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों को संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन रोगों से प्रभावित क्षेत्रों म स्थिति का आकलन करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या ह;

(ङ) इन बीमारियों को रोकथाम, निदान और उपचार के लिए प्रभावित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दी जाने वाली दवाओं सहित वित्तीय और तकनीको सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन रोगों के शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए स्वास्थ्य आधरभूत ढांचे के उचित प्रबंधन और निमाण के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे ह?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षां और वतमान वष म स्वाइन फ्लू के मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वष	मामले	मौत
2017	38,801	2,270
2018	15,266	1,128
2019	28,798	1,128
2020(01.03.2020 तक)	1,469	28

12.03.2020 तक, भारत म नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) कुल 73 पॉजिटिव मामले मिले ह। इनम से 3 भारतीय नागरिकों को रिपोट केरल से मिली है जिन्ह ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चाज कर दिया गया है।

दिनांक 12.03.2020 को स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने चीन और जापान सहित कोविड-19 से प्रभावित देशों से 948 यात्रियों को निकाला है। इनम से 900 भारतीय नागरिक और 48 मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमरीका, मैडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू सहित विभिन्न देशों के नागरिक ह।

(ग) और (घ): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों का पहला उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, केन्द्र सरकार मौसमी इन्फ्लूएंजा को स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए ह और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरंतर संपक म बनी हुई है। इसके अलावा सरकार ने मौसमी इन्फ्लूएंजा (एच1एन1) को नियंत्रित करने और इसके प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए ह जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-1 म दिया गया है।

सरकार ने चीन म कोविड-19 के प्रकोप का संज्ञान लिया है और देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाए ह। इनका ब्यौरा अनुलग्नक-II म दिया गया है।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3422 म उल्लिखित अनुलग्नक

□□□ग्न□-I

- ऐसे प्रकोपों के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय म उच्चतम स्तर पर स्थिति को नियमित निगरानी और समीक्षा को जाती है जिसम राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग भी शामिल है।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को अध्यक्षता म संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) द्वारा मौसमी इन्फ्लूएंजा को स्थिति पर भी नियमित रूप से समीक्षा को जाती है। जेएमजी को पिछली बैठक 08.01.2020 को आयोजित हुई थी।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार प्रोटोकॉल, और वटीलेटरी प्रबंधन पर दिशा-निदश जारी किए ह। ये दिशा-निदश रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) को वेबसाइट (ncdc.gov.in) पर उपलब्ध ह। राज्य सरकारों को एच1एन1 के मामलों को देश से स्वास्थ्य परिचया कायकताओं के टीकाकरण को भी सलाह दी गई है।
- सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने बजट से मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) के प्रबंधन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को खरीद का काय पूरा कर। हालांकि, राज्यों म संकट के दौरान, भारत सरकार लॉजिस्टिक्स (औषधियाँ, पीपीई किट, एन-95 फेस मास्क) को आपूर्ति कर रही है। वष 2019 म, भारत सरकार ने बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स को आपूर्ति को थी।
- स्थिति का जायजा लेने के लिए और मामलों म वृद्धि के चलते अपने रेस्पांस सिस्टम को सुदृढ़ करने म राज्यों को मदद करने के लिए जन स्वास्थ्य टीमों को 2019 म राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड म तैनात किया गया था।
- मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1 एन1) के लिए आवश्यक तैयारी के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी को गई। प्रमुख रूप से प्रभावित राज्यं को पिछली एडवाइजरी 06.11.2019 को जारी को गई थी।
- एकोकृत रोग सर्विलांस कायक्रम (आईडीएसपी) और इसको राज्य इकाइयों के इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएसआई) और सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी इन्फैक्शन (सारी) के लिए सर्विलांस को बढ़ाया है।
- आम जनता के लिए मौसमी फ्लू पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री अथात् इन्फ्रोग्राफिक्स को सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। ऑडियो स्पॉट सहित अन्य आईईसी सामग्रियां वष 2015 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाइट पर उपलब्ध ह।

  इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी सहायता प्राप्त 12 प्रयोगशालाओं का लैब नेटवक जांच, गुणवत्ता आश्वासन, माग दशन, वायरल संक्रमण फैलने के माध्यमों और डायग्नोस्टिक रीएजटों के प्रावधान के रूप म लैब-सहायता प्रदान कर रहा है। क्लिनिकल नमूनों को जांच के लिए 41 से अधिक वायरल अनुसंधान डायग्नोस्टिक प्रयोगसालाओं (वीआरडीएल) के माध्यम से आईसीएमआर द्वारा डायग्नोस्टिक क्षमता भी सुदृढ़ को गई है। इन प्रयोगशालाओं म आईडीएसपी और आईसीएमआर को साझी 6 प्रयोगशालाओं भी शामिल ह।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3422 म उल्लिखित अनुलग्नक

□□□ग्न□-□□

I. दिनाकं 18 जनवरी, 2020 से देश म यात्रियों को जांच को शुरूआत को गई थी। शुरूआत म दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि के हवाई अड्डों को कवर किया गया और तत्पश्चात इसका विस्तार करके कुल 21 हवाई अड्डों को कवर किया गया। उभरती हुई स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक तौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकंग, वियतनाम, मलेशिया, इण्डोनेशिया, नेपाल, थाइलैण्ड और सिंगापुर होते हुए आने वाली सीधी उड़ानों के सभी यात्रियों के लिए सावभौमिक जांच शुरू को गई। अब देश म आने वाले सभी अंतराष्ट्रीय यात्रियों के संबंध म सावभौमिक जांच हेतु दिशा-निदश भी जारी किए गए ह। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रमुख स्थलों पर साइनेज का प्रदशन किया गया है, उड़ान के अंदर घोषणाएं को जा रही ह तथा सभी यात्रियों द्वारा स्वयं घोषणा फाम भरवाएं जा रहे ह। प्रभावी जांच और संबद्ध अस्पतालों म आईसोलेशन के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई अड्डों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल के भेजा गया था। इसके अलावा बॉडर क्रासिग पर जांच को शुरूआत को गई है। आने वाली उड़ानों म उड़ानों के भीतर घोषणाओं, आने वाले यात्रियों द्वारा स्व-घोषणा फॉम भरवाने के प्रबंध किए गए ह। यात्रियों के मागदशन और सुविधा के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर प्रमुख स्थानों पर साइनेज प्रदर्शित किए गए ह। दिनांक 17.01.2020 को प्रथम यात्रा एडवाइजरी जारी को गई थी और जैसा कि स्थिति पैदा हो रही है यात्रा एडवाइजरी म तदनुसार संशोधन करवाया जाता है। मौजूदा एडवाइजरी निम्नलिखित का प्रावधान करती हैः

(i) मौजूदा सभी वीज़ा (राजनैतिक, आधिकारिक, यूएन/अंतराष्ट्रीय संगठनों, रोजगार, परियोजना वीज़ा के अलावा) को दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित रखा गया है। यह दिनांक 13 माच, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान के पत्तनों पर लागू होगा।

(ii) ओसीआई काडधारकों को प्रदत्त वीज़ा मुक्त यात्रा सुविधा को दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रखा गया है। यह दिनांक 13 माच, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान के पत्तनों पर लागू होगा।

(iii) जो ओसीआई काडधारक पहले से ही भारत म ह, वे जब तक चाह भारत म रूक सकते ह।

(iv) पहले से ही भारत म मौजूद सभी विदेशियों के वीज़ा वैध ह और वे अपने वीज़ा के विस्तार / रूपांतरण आदि के लिए अथवा किसी भी कन्स्यूलर सेवा को प्रदानगी के लिए, यदि वे ऐसा करना चाहते ह, तो ई-एफआरआरओ मॉड्यूल के माध्यम से नजदीको एफआरआरओ/एफआरओ से संपक कर सकते ह।

(v) कोई विदेशी नागरिक जो वैधकारी कारण के चलते भारत को यात्रा का विचार रखता है, वह नजदीको भारतीय मिशन से संपक कर सकता है।

(vi) पहले से ही लागू वीज़ा संबंधी प्रतिबंधों के अलावा, इटली या कोरिया गणराज्य को यात्रा करने वाले/कर चुके यात्री और जो भारत म प्रवेश को इच्छा रखते ह, उन्ह इन देशों के

स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 के लिए नेगेटिव जांच के प्रमाण पत्र को आवश्यकता होगी। यह दिनांक 10 माच, 2020 से 0000 बजे से लागू है और यह कोविड-19 मामलों के कम होने तक एक अस्थायी उपाय है।

(vii) भारतीय नागरिकों सहित चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जमनी से आने वाले अथवा आ चुके सभी आने वाले यात्रियों को दिनांक 15 फरवरी, 2020 के बाद न्यूनतम 14 दिनों को अवधि के लिए क्यूरेनटाइन किया जायेगा। यह दिनांक 13 माच, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान के सभी पत्तनों पर लागू होगा।

(viii) भारतीय नागरिकों सहित आने वाले यात्रियों को अनावश्यक यात्रा टालने को सलाह दी जाती है और उन्ह सूचित किया जाता है कि भारत म उनके आगमन पर उन्ह न्यूनतम 14 दिनों के लिए क्यूरेनटाइन किया जा सकता है।

(ix) भारतीय नागरिकों को पुन: सख्ती के साथ सलाह दी जाती है कि वे चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जमनी को यात्रा से परहेज़ कर।

(x) भारत लौटने वाले सभी अंतराष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य को स्वनिगरानी करनी चाहिए और सरकार के बताये गये विस्तृत दिशा-निदशों का क्या कर और क्या न कर, का अनुसरण करना चाहिए।

(xi) भारत म प्रवेश करने वाले सभी अंतराष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों तथा आप्रवासन अधिकारियों के समक्ष डुप्लीकेट म यथोचित भरा हुआ स्व–घोषणा फाम (वैयक्तिक विवरण अथात् फोन नं. और भारत म पता सहित) प्रस्तुत करना अपेक्षित है और उन्ह सभी प्रवेश बिदुओं पर नामित स्वास्थ्य काउंटर पर सावभौमिक स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

II. सरकार ने पत्तनों, हवाई अड्डों और सीमा पारगमन बिन्दुओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है और उन्ह उच्चतर जोखिम रोगजनकों जैसे ईबोला एवं कोरोनावायरस के प्रबंधन के संबंध म जागरूक किया गया है, उन्ह निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान कराए गए ह। यात्रियों को सुचारू, प्रभावी तथा सुविधाजनक जांच के लिए हवाई अडडों पर अतिरिक्त चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सा स्टॉफ को तैनाती को गई।

III. नैदानिक प्रबंधन, संक्रमण रोकथाम नियंत्रण निगरानी तथा नमूना एकत्रण आदि संबंधी दिशा-निदशों को राज्यों को भेजा गया है और इन्ह केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया है। सोशल मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जोखिम को सूचना दी जा रही है।

IV. इस रोग को रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए ह। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अध्यक्षता म मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है, जिसम विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्री शामिल ह। नियमित आधार पर जीओएम को बैठकों का आयोजन किया गया।

मंत्रिमंडल सचिव ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागरिक उड्डयन, गृह, कपड़ा, फामा, वाणिज्य के साथ अनेक बैठक को ह।

V. केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी प्रयासों म निरन्तर आधार पर सभी राज्य सरकारों को नियोजित किया है। मंत्रिमंडल सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक को ह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रकट परिदृश्य को निरंतर समीक्षा कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ विडियो कान्फ्रेंसों का आयोजन किया गया है।

VI. चीन, हांगकांग, ताईवान और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों का पता लगाने और जांच करने के लिए एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) म गति लाई गई है। देश के विभिन्न भागों म भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईएमआर) को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे तथा 14 अन्य वायरल अनुसंधान तथा नैदानिक प्रयोगशालायों (वीआरडीसी) म नमूनों को जॉच हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किए गए ह। जॉच हेतु पयाप्त प्रयोगशाला अभिकमक उपलब्ध ह। वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरणों (पीपीई) का पयाप्त स्टॉक रखा गया है। 24X7 नियत्रण कक्ष बनाया गया है। एमईआरएस-सीओवी प्रकोपों तथा इबोला वायरस रोग के प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ शासित राज्यों के त्वरित प्रक्रिया दल को प्रशिक्षित किया गया है।

VII. भारत म संभावित किसी भी आयातित जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रतिक्रिया कायप्रणाली तथा तैयारियों को जॉच तथा जोखिम के आंकलन हेतु डीजीएचएस को अध्यक्षता के तहत संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) को कई बैठक आयोजित को गई। डबल्यूएचओ, जेएमजी का प्रतिनिधि होने के कारण,इस मंत्रालय को नियमित अद्यतन तथा तकनीको सूचना प्रदान कराता है।

VIII. प्रत्येक राज्य/संघशासित राज्य म कोविड-19 को प्रबंधन को समीक्षा हेतु राज्य/संघशासित राज्यों के दौरों के लिए स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए ह।

IX. नियमित आधार पर प्रेस रिलीज जारी को जा रही ह। यात्रा एडवाइजरी और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के बारे म सोशल मीडिया पर भी सूचना साझा को जा रही है।

सरकार स्थिति को गहन निगरानी कर रही है।

****